24/2/16 पत्रा० पेश हुआ। कोई भी उप० नहीं हुआ।
मूल वाद-पत्र अदम पैरवी अदम हाजिरी
में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र
212 RTI का चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
अतः प्रा० पत्र 212 RTI इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।